

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक 583 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2022-23

दिनांक 29/10/2023

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों/ फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार निम्न कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु टू-बिड के आधार पर मुहरबन्द ई-निविदा दि0 29/10/23 को अपराह्न 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदा को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29/10/23 को अपराह्न 3.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्यों हेतु निविदा मूल्य हेतु पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, एवं अन्य शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में नियत तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति एक लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ दिनांक 29/10/2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक तकनीकी बिड जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0सं 0	विवरण	लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	समय सीमा
1	जनपद देहरादून के कालसी ब्लाक हरिपुर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे घाट के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण काय	578.91	11.60	12 माह

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, म० दे० वि० प्राधि० देहरादून ।
2. मुख्य लेखाधिकारी म० दे० वि० प्राधिकरण देहरादून ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, म० दे० वि० प्राधिकरण, देहरादून ।
4. नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद /सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु ।
5. नाजिर म० दे० वि० प्राधि० को इस आशय से कि वह दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
6. आई० टी० अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
7. प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।



अधिशाली अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।